भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 491

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: फेनी चक्रवात से फसलों को हुई क्षति

491. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री विद्युत वरण महतोः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री कुलदीप राय शर्माः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों को चक्रवात जो राज्यों को प्रत्येक वर्ष प्रभावित करते हैं के दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता के साथ स्थाई समाधान प्रदान करने के लिए कोई ठोस प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा फसल के नुकसान को कम करने के लिए क्या अन्य उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): भारत ने अपने निरंतर प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारी में महत्वपूर्ण सुधार किया है। हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 विकास योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का लक्ष्य सुरक्षित और आपदा को सहने

की क्षमता वाले भारत का निर्माण करना है। देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत कार्य तंत्र मौजूद है ताकि आपदाओं के कारगर प्रबंधन के लिए उचित तैयारी के साथ शीघ्र कार्रवाई की जा सके। केंद्र सरकार ने एक मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की है तथा इससे मौसम के सटीक पूर्वानुमानों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पूर्वानुमान एजेंसियां चेतावनी तथा प्रसार प्रणालियों के सुधार के लिए अपने प्रयासों पर काफी जोर दे रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के आने पर लोगों/किसानों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से तटीय समुदाय के सामान्यत: गरीब एवं असहाय समुदाय के कष्टों को कम करने के लिए 8 तटीय राज्यों में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) कार्यान्वयन जारी है जिसका कुल परिव्यय 4903 करोड़ रुपये है। 2013 में 'फेलिन', 2014 में-हुद-हुद', 2018 में 'तितली' तथा हाल ही में आये चक्रवात 'फेनी' के दौरान इस परियोजना के तहत लगाए गए चक्रवात आश्रय और पूर्व चेतावनी प्रणाली काफी मददगार साबित हुई।

केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन पद्धतियां, तैयारी, रोकथाम तथा अनुक्रिया तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण प्रशासन की सतत एवं विकसित प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****